Madhya Pradesh State
Agricultural Marketing Board
Kisan Bhawan, 26, Arera Hills, Jail Road,
Bhopal-462011
Office : 0755-2553429

मध्यप्रदेश राज्य
कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, जेल रोड,
भोपाल-462011
कार्यालय : 0755-2553429

Website : www.mpmandiboard.gov.in

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी. सेल/2025-26/10 भोपाल, दिनांक 15/04/2025

प्रति,

(01) संयुक्त संचालक / उप संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय .... (समस्त) म0प्र0।

(02) सचिव,
कृषि उपज मंडी समिति,
.... जिला .... (समस्त) म0प्र0।

विषयः-ई-अनुज्ञा पोर्टल पर भुगतान पत्रक के सत्यापन के संबंध में।

सन्दर्भः-मुख्यालय का पत्र क्र./बी-5/2/ई-अनुज्ञा/2019-20/1301-1302 दिनांक 25/01/2020.

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भ में लेख है कि मंडी अधिनियम की धारा 19 (ख) के तहत यह व्यवस्था है, कि "कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मंडी शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी है, उसका भुगतान मंडी समिति को अधिसूचित कृषि उपज के क्रय करने के या उसे प्रसंस्करण या विनिर्माण के लिए मंडी क्षेत्र में आयात करने के 14 दिन के भीतर करेगा और उसमें व्यतिक्रम होने पर वह मंडी फीस तथा उसके साथ उस पर 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए करने का दायी होगा।"

ई-अनुज्ञा पोर्टल पर मंडी अधिनियम की धारा 19 (ख) के तहत दर्ज समस्त भुगतान पत्रकों के सत्यापन उपरांत मंडी फीस की गणना किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा सचिव आईडी पर यह रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई गई है कि भुगतान पत्रक दर्ज होने के 14 दिन के अन्दर भी मंडी समिति को संबंधित व्यापारी द्वारा मंडी शुल्क भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त रिपोर्ट का नियमित रूप से परीक्षण/अवलोकन करते रहें तथा समय सीमा में मंडी शुल्क जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। विलंब की स्थिति तथा अत्यधिक भुगतान पत्रकों की संख्या होने पर संबंधित मंडी सचिव स्वयं उत्तरदायी होंगें। पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

(कुमार पुरुषोत्तम)
आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र./मंडी बोर्ड/आई.टी. सेल/2025-26/ 11 भोपाल, दिनांक 15/04/2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
2. संयुक्त संचालक (नियमन), म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
3. श्री मुशर्रफ सुल्तान, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. भोपाल।

आयुक्त सह प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल